# कार्यालय, नगर पचांयत मशरख, सारण

## (नगर विकास एवं आवास विभाग)

### अल्पकालीन अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण

### निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 03/2026–27

### (ई–टेन्डरिंग के द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in )

प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक– 5564, दिनांक–19.02.2026 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में वित्तिय वर्ष 2026–27 के लिए नगर पचांयत मशरख के क्षेत्राधीन आकस्मिक/अत्यावश्यक कार्य हेतु राज्य सरकार के वर्तमान अनुसूचित दर (संवेदक लाभ एवं ओभरहेड रहित)पर निर्माण सामाग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी इत्यादि के आपूर्ति/सेवा हेतु संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ता/सेवा प्रदाताओं से निम्नाकित शर्तो पर अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of interest) आमंत्रण किया जाता है।

01. संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं का बिहार सरकार के किसी विभाग में किसी श्रेणी में या संबंधित जिला में चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में निबंधन अनिवार्य होगा।
02. निर्माण सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी के आपूर्ति से संबंधित राज्य सरकार/विभागीय नियम/दिशा–निर्देश लागू होंगे।
03. सभी प्रकार के टैक्स/रॉयल्टी/मलीकाना फीस/जी0एस0टी0/इनकम टैक्स/लेवर शेष इत्यादि की कटौती नियमानुकूल की जाएगी।
04. इच्छा की अभिव्यक्ति( Expression of interest) के साथ निम्न दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से सम्बोधित आवेदन पत्र के साथ बन्द लिफाफा में जमा करना होगा।
    - (i) वैध निबंधनपत्र।
    - (ii) पैनकार्ड की प्रति
    - (iii) जी0एस0टी0नं0 की प्रति
    - (iv) GST Return 3B latest 3 Month
    - (v) आधारकार्ड की छायाप्रति।
    - (vi) वैध आचरण प्रमाण–पत्र
    - (vii) Whatsapp मोबाईल नं0
    - (viii) ई–मेल आई0 डी0
    - (ix) पूर्ण स्थाई एवं अस्थाई पता
05. संवेदको को निम्न रूप से अंकित बिन्दुओं के साथ शपथ–पत्र में जमा करना होगाः–

    (i)"I, the undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct and if found fake/forget, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as blacklisting"

CamScanner
CamScanner

(ii) यह कि मेरे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(iii) यह कि मुझे किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित ( Debar Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद् (rescind) नही किया गया है

(iv) कार्य मिलने पर मै गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ कार्य सम्पादित करने को तैयार हुँ। गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं पाए जाने पर विभाग कार्यवाई हेतु स्वतंत्र होगा।

(V) मजदूर सप्लाई कार्य मिलने पर मै मजदुर को न्यूनतम मजदुरी अधिनियम 1948(1948 का 11) की धारा–5 के अनुरूप श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर पर भुगतान करूगाँ।

(Vi) वर्षा अवधि के समय आकस्मिक कार्य की प्रकृती को देखते हुए 24 घंटे मजदुरों एवं आवश्यक सामाग्रियों के साथ कार्य स्थल पर उपलब्ध रहुँगा। अनुपस्थित रहने पर ततक्षण मेरें उपर नगर पंचायत मशरख नियामानुकूल कारवाई करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

06. क्रम सं0–04 05 के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले इच्छुक संवेदको आपूर्तिकर्त्ता/सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध(Empanelled) किया जाएगा, जिनसे आवश्यकतानुसार आपूर्ति/सेवा लिया जाएगा।

07. अभिरूचि की अभिव्यक्ति( Expression of interest) का आमंत्रण दिनांक–01.08. 2026 से दिनांक–07.08.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक eproc2 द्वारा (www.eproc2.bihar.gov.in ) प्राप्त किया जाएगा।

08. कोटेशन की मुल प्रति नगर पंचायत मशरख के कार्यालय में जमा करने की तिथि– दिनांक–09.08.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक होगी।

09. कोटेशन दिनांक–11.08.2026 को 3:30 बजे अपराह्न में संवेदकों/आपूतिकर्ता/सेवा प्रदाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियो एवं कार्यपालक अभियंता नगर विकास प्रमंडल–02 छपरा के समक्ष खोला जाएगा एवं अगले कार्य दिवस को सूचिवद्ध कि कार्यवाई की जाएगी। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त अभिसूची कि अभिव्यक्ति( Expression of interest) पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

10. श्रमिकों की आपूर्ति के संबंध में श्रम संसाधन विभाग के अधतन दिशा–निर्देश/अधिसूचना का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। श्रमिको का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के अधतन दर के आधार पर किया जाएगा।

11. मात्र सूचीवद्ध हो जाने से भविष्य में कार्य का दावा मान्य नहीं होगा। सूचीवद्ध का क्रमांक किसी प्रकार के वरीयता एवं प्राथमिकता पाने का घोतक नही होगा।

12. आकस्मिकता अथवा समयाभाव की स्थिति में कार्य विशेष के लिए नगर पंचायत मशरख द्वारा दुरभाष के माध्यम से भी सूचित कर उपलब्ध Empanelled संवेदकों/ आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति/सेवा ली जा सकती है।

13. कराये जाने वाले कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने के उपरान्त नगर पंचायत मशरख द्वारा नियमानुसार की जाएगी।

14. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मशरख को किसी भी समय इस निर्गत आमंत्रण सूचना को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

CamScanner

15. इच्छुक संवेदकों/आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाताओं द्वारा निम्नलिखित कार्यो में से एक या एक से अधिक या सभी कार्य हेतु आवेदन दिया जा सकता है, जिसका प्रारूप निम्नवत है:–

| सं0 | कार्य का नाम | संवेदक द्वारा अभिरूचि हाँ/नहीं |
|---|---|---|
| 1 | मजदुर सप्लाई कार्य(श्रम संसाधन विभाग द्वारा दर पर भुगतान) | |
| 2 | (A)मशीन सप्लाई कार्य (ट्रैक्टर, जे0सी0बी0, ग्राम कटर, कंक्रीट मिक्सचर मशीन) वर्तमान अनुसूचित दर<br>(B)सामाग्रियों की सप्लाई कार्य/असैनिक कार्य (बालू गिट्टी, सीमेन्ट,ईट मिट्टी ई0सी0 बैग बाक्स फिल्डर इत्यादि। (वर्तमान अनुसूचित दर) | |

23.07.2024

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर, पंचायत मशरख

CamScanner

CamScanner